



2026:AHC:25403

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1396 / 2026

श्रीमति सुमन लता

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेनम हारून, प्रथम गौड़, राजेश कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उनके पाते शिव रत्न सिंह, जो एक कांस्टेबल थे, का निधन 29.11.2013 को हो गया था। इसके पश्चात याचिकाकर्ता के पुत्र अनुज कुमार को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दी गई थी और 29.02.2024 को उनका भी निधन हो गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह पारिवारिक पेंशन, समूह बीमा, अवकाश नुकसान, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की हकदार हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि रिट याचिका के पैराग्राफ-11 में मृतक के नामांकित व्यक्ति के रूप में श्रीमती काजल सेंगर के नाम का उल्लेख है, अतः उन्हें भी सुना जाना चाहिए।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

**5 फरवरी, 2026**

(एन.एस. राठौर)

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"